



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 977]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2004/कार्तिक 19, 1926

No. 977]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2004/KARTIKA 19, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2004

सं. 8/2004-2009

का.आ. 1260(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2004-2009 को अनुसूची 1 को संशोधित करती है।

2. आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 के अध्याय 74 में निम्नलिखित आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी जोड़ी जाएगी :—

“(3) एग्जिम कोड सं. 7403.11, 7403.12, 7403.13, 7403.19, 7413.00, और 7408.11 के तहत तांबे और इसके उत्पाद आई एस एफ टी ए के तहत श्रीलंका से भारत में केवल नावाशेवा, चैनई, तूतीकोरीन, कोचीन, आई सी डी तुगलकाबाद (शुष्क पत्तन), आई सी डी मुलुन्ड (शुष्क पत्तन), आई सी डी लुधियाना (शुष्क पत्तन) और आई सी डी पीथमपुर के जरिए आयात किए जा सकते हैं।”।

3. आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 के अध्याय 85 में निम्नलिखित आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी जोड़ी जाएगी :—

“(3) एग्जिम कोड सं. 8544.11, 8544.19, 8544.49 और 8544.59 के तहत तांबे से बनी वस्त्रुएं आई एस एफ टी ए के तहत श्रीलंका से भारत में केवल नावाशेवा, चैनई, तूतीकोरीन, कोचीन, आई सी डी तुगलकाबाद (शुष्क पत्तन), आई सी डी मुलुन्ड (शुष्क पत्तन), आई सी डी लुधियाना (शुष्क पत्तन) और आई सी डी पीथमपुर के जरिए आयात किए जा सकते हैं।”।

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/मानो.-5852/ए एम 03/पी सी ।क]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2004

**No. 8/2004—2009**

**S.O. 1260(E).**—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments in the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—09.

2. The following import licensing note shall be added to Chapter 74 of the ITC(HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—2009 :—

“(3) Copper and its products under Exim Code Nos. 7403.11, 7403.12, 7403.13, 7403.19, 7413.00 and 7408.11 may be imported into India from Sri Lanka under the ISFTA only through Nhavasheva, Chennai, Tuticorin, Cochin, ICD Tughlakabad (Dry Port), ICD Mulund (Dry Port), ICD Ludhiana (Dry Port) and ICD Pithampur.”.

3. The following import licensing note shall be added to Chapter 85 of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—2009 :—

“(3) Articles made up of Copper under Exim Code Nos. 8544.11, 8544.19, 8544.49 and 8544.59 may be imported into India from Sri Lanka under the ISFTA only through Nhavasheva, Chennai, Tuticorin, Cochin, ICD Tughlakabad (Dry Port), ICD Mulund (Dry Port), ICD Ludhiana (Dry Port) and ICD Pithampur.”.

This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/Moni-5852/AM03/PCIA]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade &amp; ex-officio Addl. Secy.